दिनांक–17.03.2024 समय–7.10एएम

प्रादेशिक समाचार
आकाशवाणी, भोपाल
प्रातःकालीन समाचार

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, 4 जून को होगी मतगणना।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा- प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन।
- चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी जिलों में प्रशासन सतर्क,सी-विजिल एप से नागरिक कर सकेंगे आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत।
- प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, सिवनी में बारिश, बालाघाट में गिरे ओले।

लोकसभा निर्वाचन 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। श्री राजन ने बताया कि पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। पहले चरण के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 7 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। इसी प्रकार चौथे चरण में 8

लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन एवं खंडवा में 13 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 मई को होगा। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे।

निर्वाचन पदाधिकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिए जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। उन्होंने बताया कि सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि टीमों का गठन कर अंतर्राज्यीय नाकों पर अवैध शराब, नगद राशि और मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप के जरिए भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे। श्री राजन ने बताया कि पात्र नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

आचार संहिता

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सतर्क हो गया है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने कल रात कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख कार्यालय, तहसील कार्यालय का दौरा कर वहां सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराया। उन्होंने इस दौरान खनिज कार्यालय में स्थापित एम.सी.एम.सी. कक्ष का भी निरीक्षण किया तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर आगरमालवा में कलेक्टर राघवेन्द्रसिंह ने बताया है कि धारा 144 के तहत आगरमालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण प्रतिबंधित

है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संम्पन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने इलेक्शन प्लान तैयार कर लिया है। नर्मदापुरम जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने हमारे संवाददाता को बताया है कि सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। ग्वालियर में जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि जुलूस व सभा आयोजन के लिये पहले ही अनुमति लेनी होगी। झाबुआ में कल मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमा की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इंदौर में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर बगैर अनुमति के धरना, जुलूस, आमसभा, रैली आदि आयोजनों पर प्रतिबंधित रहेंगे। डिंडोरी, शिवपुरी, छतरपुर, बालाघाट, निवाड़ी, मुरैना, श्योपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, विदिशा सहित सभी जिलों में प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोगों को आचार संहिता की जानकारी देते हुए इसका सख्ती से पालन करने की अपील की है।

महिला प्रीमियर लीग

महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। मुकाबला शाम साढ़े सात बजे शुरू होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एक रोमांचक एलिमिनेटर मुकाबले में पूर्व विजेता मुंबई इंडियंस को 5 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था।

मौसम

प्रदेश में एक बार फिर मौसम में बदलाव आया है। सिवनी में कल आधे घंटे से ज्यादा बारिश हुई। बालाघाट में बारिश के साथ ओले गिरे तो वहीं अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली में भी मौसम बदला रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन यानी 19 मार्च तक ऐसा ही मौसम रहेगा। विभाग ने आज जबलपुर, सिवनी समेत 5 जिलों में ओले-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर समेत 13 जिलों में हल्की बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनी रहेगी। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से हवाएं नमी ला रही हैं। इस वजह से मार्च में तीसरी बार मौसम बदल गया है। नए सिस्टम से जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग में ज्यादा असर रहेगा जबकि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन संभाग में हल्के बादल छा सकते है।

अब कुछ समाचार संक्षेप में .....

- श्योपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष, निर्विघ्न, शांतिपूर्ण एवं स्वतंत्र मतदान के लिए मीडिया प्रतिनिधि भी अपना-अपना सहयोग प्रदान करें।
- राजगढ़ में कल जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कहा कि निर्वाचन से संबंधित नियमों का गंभीरता से पालन किया जाए।
- छिंदवाड़ा में लोकसभा निर्वाचन के अंतर्गत स्टैंडिंग कमेटी की बैठक का आयोजन आज किया जाएगा।
- खंडवा के नव नियुक्त पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने कल कार्यभार संभाला।
- सागर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे

अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर ....

- प्रदेश में चार चरण में होंगे लोकसभा चुनाव, 4 जून को होगी मतगणना।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा- प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से होगा पालन।
- चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी जिलों में प्रशासन सतर्क,सी-विजिल एप से नागरिक कर सकेंगे आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत।
- प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, सिवनी में बारिश, बालाघाट में गिरे ओले।

न्यूज फॉर हिन्दी वैब -

(1)लोकसभा निर्वाचन 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 की तारीखों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में भी आदर्श आचार संहिता भी पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जाएगा। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। श्री राजन ने बताया कि पहले चरण में 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में 19 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। पहले चरण

के लिए अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। 28 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 30 मार्च तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 19 अप्रैल को होगा। दूसरे चरण में 7 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद एवं बैतूल में 26 अप्रैल 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 28 मार्च को जारी होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 अप्रैल है। नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 5 अप्रैल को की जाएगी। प्रत्याशी 8 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 26 अप्रैल को होगा। तीसरे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल एवं राजगढ़ में 7 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 12 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 20 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 22 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। इसी प्रकार चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन एवं खंडवा में 13 मई 2024 को मतदान होगा। इस चरण के लिए अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी होगी। प्रत्याशी 25 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। प्रत्याशी 29 अप्रैल तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 13 मई को होगा। सभी चरणों की मतगणना के परिणाम एक साथ 4 जून 2024 को घोषित किए जाएंगे।

(2)निर्वाचन पदाधिकारी

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि लोकसभा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राज्य स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा न्यूज चैनलों पर प्रसारित होने वाले विज्ञापन एवं समाचारों पर निगरानी रखने के लिए जनसम्पर्क अधिकारियों की टीम 24 घण्टे निगाह रखेगी। उन्होंने बताया कि सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्ति पर अनाधिकृत विरूपण हटाने के लिए नियत सीमा में कार्यवाही के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि टीमों का गठन कर अंतर्राज्यीय नाकों पर अवैध शराब, नगद राशि और मादक पदार्थों के परिवहन पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सी-विजिल एप के जरिए भी नागरिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकेंगे। श्री राजन ने बताया कि पात्र नागरिक अभी भी अपना नाम मतदाता सूची

में जुड़वा सकते हैं। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख के 10 दिन पहले तक नागरिकों से मतदाता सूची से नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जा सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर पात्र नागरिक अपना नाम वोटर लिस्ट में मतदाता के रूप में जुड़वा सकेंगे।

(3)आचार संहिता

प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सतर्क हो गया है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह ने कल रात कलेक्टर कार्यालय, भू-अभिलेख कार्यालय, तहसील कार्यालय का दौरा कर वहां सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराया। उन्होंने इस दौरान खनिज कार्यालय में स्थापित एम.सी.एम.सी. कक्ष का भी निरीक्षण किया तथा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उधर आगरमालवा में कलेक्टर राघवेन्द्रसिंह ने बताया है कि धारा 144 के तहत आगरमालवा जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों का प्रसारण प्रतिबंधित है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर जिले में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संम्पन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन ने इलेक्शन प्लान तैयार कर लिया है।नर्मदापुरम जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने हमारे संवाददाता को बताया है कि सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। ग्वालियर में जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि जुलूस व सभा आयोजन के लिये पहले ही अनुमति लेनी होगी। झाबुआ में कल मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्य की सीमा की अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की बैठक हुई। इंदौर में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर बगैर अनुमति के धरना, जुलूस, आमसभा, रैली आदि आयोजनों पर प्रतिबंधित रहेंगे। डिंडोरी, शिवपुरी, छतरपुर, बालाघाट, निवाड़ी, मुरैना, श्योपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, विदिशा सहित सभी जिलों में प्रशासन ने राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोगों को आचार संहिता की जानकारी देते हुए इसका सख्ती से पालन करने की अपील की है।